दि. 27-3-2020

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब कोरोना वायरस की रोकथाम व सुरक्षा कारणों से
पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
8-5-2020 को पेश हो।

दि. 8-5-2020

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व सुरक्षा कारणों से
पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
29-6-2020 को पेश हो।

दि. 29-6-2020

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व सुरक्षा कारणों से व्यस्त है।
पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
15/8/2020 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर,
सीतोंदी
दा. वाद अं धारा 183, 188 RTA
मुकराम / कीमराम
प्र. क्र. 60/2019

दि. 13-7-2020 पत्रावली मंगाने पर पेश हुई। प्रतिवादी सं. 01 श्रीमती रामकली ने इस बाबत अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा दि. 18-2-2020 को प्रस्तुत किया उसे रिकार्ड पर लिया गया। वकील उभय पक्षकारान अप/वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगेन्द्र कुमार मेडतिया ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपनी वादग्रस्त अराजी का विक्रय कर दिया है जिससे वादीगण अब यह वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं इस कारण यह वाद जरिये विड्रावल खारिज करवाना चाहते हैं अतः विद्वान यह राजस्व वाद अ.धा. 188, 183 RTA Act का विषय प्रति वादीगण जरिये विड्रावल चलने योग्य नहीं होने से तथा खारिज योग्य होने से जरिये वाद वादी विड्रावल के जरिये खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया। कार्यवाही फैसल होकर दफ्तर से किया जावे।

कलक्टर
(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:39 IST
Reason: SelfAttested